



संख्या : /जीएस०(शिक्षा) / A3-98(3)/2020

प्रेषक,

माझे रंजीत कुमार सिन्हा,  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में

कुलपति,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड  
महोदय,

देहरादून: दिनांक २<sup>१</sup> अगस्त, 2022

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 212/मान्यता/के०य०/2019-20 दिनांक 22.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा हेमवती नन्दन बहुगुण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खटीमा को एम०ए० (योग) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2021-22 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर ज०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के समुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर माझे कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपलब्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश छात्रा (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	हेमवती नन्दन बहुगुण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)	एम०ए० (योग)	40 सीट	2021-22

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धी आदेश निर्गत करने को कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना माझे कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2- उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता दिये जाने के 03 माह के भीतर अपूर्ण मानक U.G.C विनियम/ नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण करना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा तथा जिन मानकों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यान्वयन अपेक्षित हो इस सम्बन्ध में शासन से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि अध्ययनरत छात्रों के हित प्रभावित न हो।

3- अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव सम्पर्य निर्धारित समय जारी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।  
तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(माझे रंजीत कुमार सिन्हा)  
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1878 (1)/जीएस०/शिक्षा/A3-98(3)/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हट्टानी।
3. प्राचार्य, हेमवती नन्दन बहुगुण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खटीमा।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड ऑफिस हेतु।

आज्ञा से,  
(स्वाति एस० नदीरिया)  
कुलाधिपति के उपर संविधि।